PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

FRONT ELEVATION

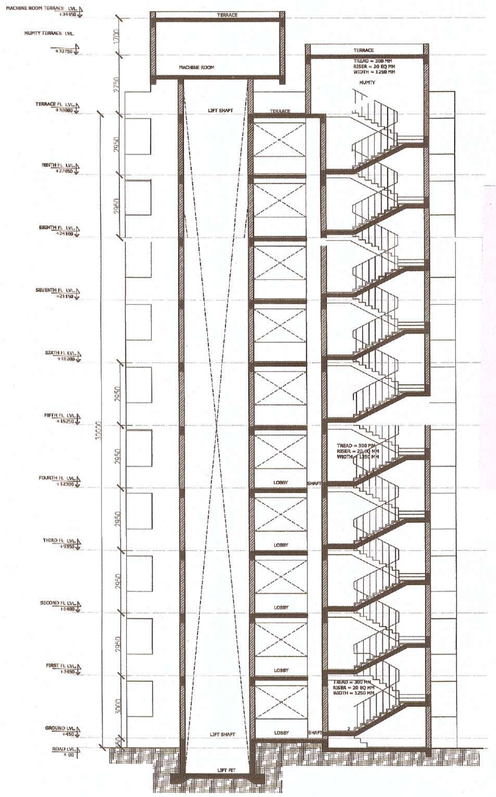

SECTION AT AA

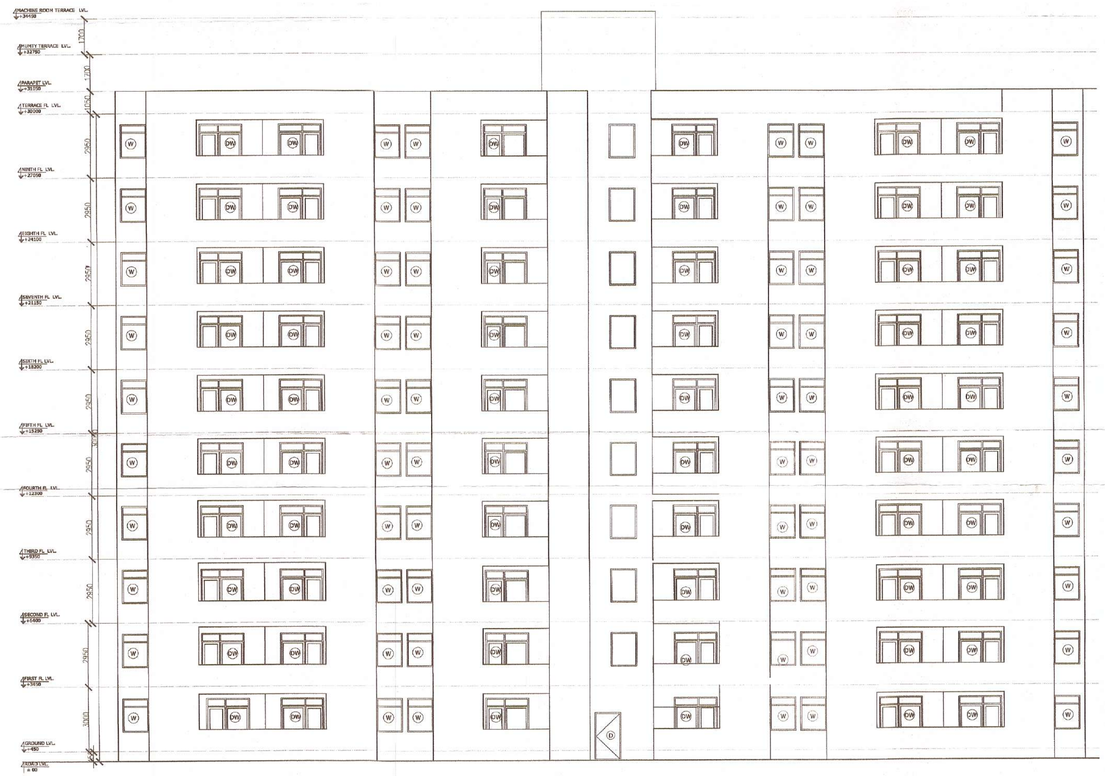

REAR ELEVATION

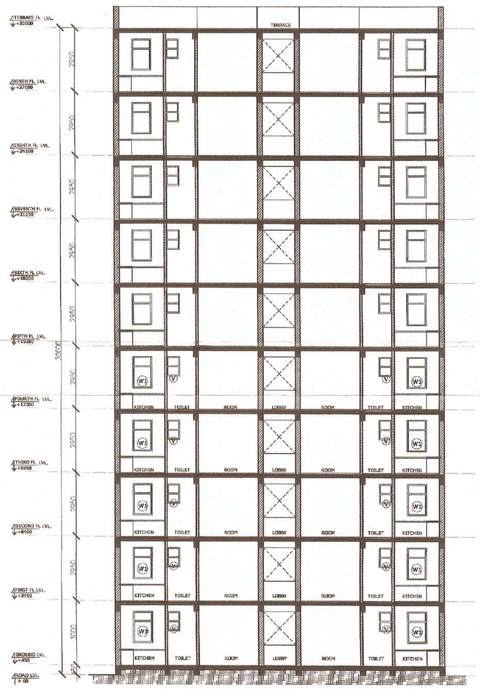

SECTION AT BB

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT
PROPOSED GROUP HOUSING- 6
(EWS/LIG) AT KHASRA NO. 148,151
VILLAGE SARSAWAN, IN OMAXE
INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR
ROAD , LUCKNOW U.P.

प्रतिबन्ध

1. ईएमईएस/एलआईजी भवनों का आवंटन शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से नियमानुसार कराना होगा।
2. भू-स्वामित्व तथा भूमि राष्ट्र-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विभागवासी केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। सुसंगत के लिए खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
3. माननीय शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कोपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
4. शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा। स्ट्रक्चर ड्राइंग व डिजाईन इंजीनियर्स एण्ड टैक्नोसोर्स, आई०आई०टी० रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एन०ए० इक्बाल से कैट सारकार प्रस्तुत की है। तदनुसार स्थल पर निर्माण कार्य करना होगा।
5. लैण्ड स्कोपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर की विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
6. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के अनापत्ति पत्र संख्या-प-1946/एफएस/2014 दिनांक 19.01.2018 निर्देशों का पालन करना होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. सेवर एक्ट का अनुपालन करना होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत सेस्टर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
10. स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
11. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।
12. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
13. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विभागवर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर या मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रविधा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
14. जिलाधिकारी, लखनऊ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात मंदिर का निर्माण कराना होगा।

कलम मजकूरा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रविन्यास सहित स्वीकृत किया जाता है कि जिससे प्राविकरण भूमि विक्रय सम्मिलित के लिए विवश कार्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 427/12
दिनांक 22-12-2017
स्वीकृत की वैधता दि. 21-12-2022
5.3.18
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

DRAWING TITLE
SUBMISSION DRAWING
L.I.G.
ELEVATION AND SECTIONS

DEALT BY	CHECKED BY
SCALE	DATE DEC, 17

ARCHITECT
MD. AMIN ULLAH
ARCHITECT
CA No. 2012/54539
ARCHITECT'S SIGNATURES

CLIENT/ OWNERS
OMAXE
Turning dreams into reality
OMAXE LIMITED
OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER- EWS/LIG/SUB-07/7

पत्र सं. प-1946/FS-2014
दिनांक 19-01-18 को
अनुपालन किया गया।
(वस्तु कुमार यादव)
अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिक
मुख्य अग्नि अधिकारी
लखनऊ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT